

8-11-17

on line entry

अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद

धारा 107 द.प्र.स.

एम० पी० केश नं० 449/20.17.....

3.17

5/17

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

रंजीत चौहान बनाम रंजीला चौहान
के-डुआडीए थाना अप्राथमिकी सं० ०६/१७

प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी
स० अ०नि०/अ०नि० के-डुआडीए ने जाँच कर अपना
प्रतिवेदन थाना प्रभारी के-डुआडीए थाना एवं
अ० निरी० के-डुआडीए ने अग्रसारित किया
है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच थाना कार्ड
सं० ०७/१७ के लेकर

तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति
भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा
सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव
व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती
है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107
द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ
कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 11.4.17 को 10.30 बजे
पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं
लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो
समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।

आदेश पत्र पर
की गई कारवाई

25/11/17
18/11/17
29/11/17
12/6/17
27/6/17
10/7/17
25/8/17
11/8/17
29/8/17
11/9/17
25/9/17
12/10/17
30/10/17
10/11/17
23/11/17
5/11/17

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

10/11/17 - प्रथम पत्र 311 की हाजरी है 10/11/17 का अर्थ है
है जैसे कि आता है।

द्वितीय पत्र की हाजरी है 10/11/17 का अर्थ है
प्रथम पत्र 311 का - प्रथम पत्र

दि 23/11/17
अर्थ है 10/11/17
मे

23/11/17 -
अर्थ है

प्रथम पत्र 311 की हाजरी है 10/11/17 का अर्थ है
जैसे कि आता है

द्वितीय पत्र की हाजरी है 10/11/17 का अर्थ है
जैसे कि आता है

अध्यापक के द्वारा 'गारवा' वाद की 'गारवाली' -
व्यापक 12th कक्षा के (प्रथम) की पाठ्य है

दि 23/11/17

के माफि रजिस्ट्रार
प अनुमण्डल
10 पीठ केश नं०.....
प्रथम पत्र -